रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122023-250924 CG-DL-E-27122023-250924

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2023/पौष 6, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2023/PAUSHA 6, 1945

No. 7331

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 917(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, (विष विज्ञान) भर्ती नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, विष विज्ञान भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- वनस्पित संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, (विष विज्ञान) भर्ती नियम, 2021 की अनुसूची में पादप संरक्षण अधिकारी (विष विज्ञान) के पद संबंधी, क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात:

"साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ख राजपत्रित, अननुसचिवीय"

[फा. सं. 12028/1/2019-पीपी-स्था.] आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

7955 GI/2023 (1)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77, तारीख 15 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 01 सितंबर, 2022 को अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2023

G.S.R. 917(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Toxicology Recruitment Rules, 2021. namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Toxicology Recruitment (Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Toxicology Recruitment Rules, 2021 in Schedule, against serial number 2, relating to the post of Plant Protection Officer (Toxicology), for column 3, the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"General Central Service, Group B Gazetted, Non-Ministerial."

[F. No. 12028/1/2019-PP-Estt.]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 77, dated the 15th July, 2021 and was last amended on dated the 01st September, 2022.